संख्या–4108 / 9–आ–3–2001–26 एल.यू.सी. / 99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–26 दिसम्बर, 2001

विषयः स्कूल / शिक्षण संस्थाओं से भूखण्ड के क्षेत्रफल के बजाय निर्मित क्षेत्र के आधार पर विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षण संस्थाओं के भवन मानचित्र स्वीकृति के समय अन्य निर्माण की भाँति ही पूरे भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर विकास शुल्क की देयता आंकलित की जाती है। इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सामान्यतः स्कूल के लिए भूमि का क्षेत्रफल काफी अधिक होता है परन्तु अधिकांश क्षेत्रफल खुला / क्रीड़ा स्थल रखा जाता है एवं निर्मित भू–भाग कम ही होता है, इसलिए विकास शुल्क केवल निर्मित होने वाले भाग के लिए लिया जाय, न कि पूरी भूमि पर। निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग, मेडिकल व डेन्टल कालेजों के लिए दिनांक 17 सितम्बर, 1998 को निर्गत नीति विषयक शासनादेश मे यह व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है कि निर्मित किए जाने वाले क्षेत्रफल पर सामान्य विकास शुल्क देय होगा।

2. उपरोक्त स्थिति में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं के प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृत करते समय उनसे पूरे भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर विकास शुल्क न लिया जाय, बल्कि केवल उसी भाग के लिए विकास शुल्क लिया जाय जिस पर निर्माण प्रस्तावित है,अथवा जिस भूमि क्षेत्रफल का एफ.ए.आर. वह उपयोग करें, जो भी अधिक हो।

कृपया उपरोक्तानुसार आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
2. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
विशेष सचिव